न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं0 140 आर 15/08–09

अनुज कच्छप एवं अन्य

बनाम

फोका उराँव एवं अन्य

29/07/11

आदेश

यह अपीलवाद एस0 ए0 आर0 वाद सं0 30/01–02 में पारित आदेश, दिनांक 11.12.2003 के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
राँची थाना सं0–205	33	571 572	0.62 एकड़ 0.14 एकड़

इस वाद मे उभय पक्ष उपस्थित हुए हैं। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया निम्न न्यायालय का अभिलेख तथा दायर कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि खेवट नं0 2 के अन्तर्गत अपीलार्थी के पूर्वज पुनरा उराँव के नाम से है जिन्होंने निबंधित दस्तावेज सं0 509, दिनांक 15.03.1939 के द्वारा भंदरा उराँव से खरीद की है। भंदरा उराँव के द्वारा यह भूमि चिनगिया उराँव से वर्ष 1928 में क्रय की गई थी। बुधराम उराँव के द्वारा भूमि क्रय कर उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगें। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्र विश्वनाथ कच्छप, सोमनाथ कच्छप एवं चन्द्रनाथ कच्छप भूमि उत्तराधिकारी हुए। चन्द्रनाथ कच्छप की मृत्यु अविवाहित हो गई। सोमनाथ कच्छप एवं विश्वनाथ कच्छप के मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी प्रश्नगत् भूमि के उत्तराधिकारी है।

इनका कथन है कि इन्हें अंचल पदाधिकारी शहर के माध्यम से दिनांक 22.11.2008 को वाद सं0 30/02–03 के पारित आदेश की जानकारी हुई। जिस

न्यायालय से द्वारा इन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई तथा निम्न न्यायालय के वाद के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इनका आगे कहना है कि निम्न नयायालय के आदेश दिनांक 29.05.2002 में जिस व्यक्ति को नोटिस तामिला का जिक्र है वह 15 वर्षों मानसिक रूप से विछिप्त व्यक्ति है तथा उनका मानसिक विकित्सालय में इलाज चल रहा है। निम्न न्यायालय में विपक्षी के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 03.06.2003 को publication हेतु आदेश दिया गया तथा पुनः उसे आदेश दिनांक 02.07.2003 द्वारा हुए वाद को बहस के लिये दिनांक 27.11.2003 को निश्चित् कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा इनका पक्ष सुने बिना एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि जब प्रतिवादी के पूर्वज द्वारा वर्ष 1928 को भूमि को हस्तांतरित कर दिया तो प्रतिवादी को पुनः वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी का कहना है कि यह अपीलवाद पाँच साल के बाद किया गया है। जो यू/एस0 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के विरूद्ध है। इनका आगे कहना है कि ग्राम, पुरानी राँची के खाता सं0 33, प्लाट सं0 572 खतियान में डालीकतारी दर्ज है, जिसे उराँव कस्टमरी लो एवं सी0एन0टी0 एक्ट के अन्तर्गत हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इनका आगे कहना है कि खतियान में यह भूमि स्व0 चिनगिया उराँव के नाम से दर्ज है। चिनगिया उराँव के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत उपायुक्त के अनुमति से बिक्री नहीं की गई है। चिनगिया उराँव या उनके उत्तराधिकारी के द्वारा बिक्री नहीं की गई है। इनकी दलील है कि यदि चिनगिया उराँव वर्ष 1928 में भंदरा उराँव को भूमि बिक्री किये होते तो खतियान में भंदरा उराँव का नाम होता। परन्तु रेकोर्ड ऑफ राईट में चिनगिया उराँव एवं भंदरा उराँव के बीच नहीं हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी का दावा अवैध एवं स्वीकार करने योग्य नहीं है। इनका यह भी कहना है कि लगान रसीद कोका उराँव पिता स्व0 चिनगिया उराँव के नाम से ही वर्ष 1986 तक एवं 1989–90 तक निर्गत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियान में यह भूमि चिनगीया उराँव वल्द जोरो उराँव के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1928 को प्रतिवादी के पूर्वज द्वारा भूमि का निबंधन डीड से हस्तांतरण एवं क्रेता द्वारा 1939 को निबंधित डीड के माध्यम से बुधराम कच्छप को हस्तांतरित भूमि के वारिशान होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। प्रतिवादी का कथन है कि इनके पूर्वज या इनके द्वारा कभी भी उपायुक्त की अनुमति से भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया। इनका तर्क था कि यदि भूमि का हस्तांतरण चिनगिया उराँव द्वारा किया गया होता तो चिनगिया उराँव नाम खतियान में दर्ज नहीं होता। जहाँ तक अपीलार्थी को नोटिस तामिला कराये जाने का प्रश्न है निम्न न्यायालय द्वारा एक मानसिक रूप से विछिप्त व्यक्ति को नोटिस तामिला कराये जाने की बात कही गई है। इनका दावा है कि निम्न न्यायालय का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। फलतः एकपक्षीय आदेश पारित हुआ। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.06.2003 को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस तामिला कराये जाने के आदेश को आदेश दिनांक 27.11.2003 द्वारा समुचित कारण के बिना वापस ले लिया गया तथा तीन तिथियों के अन्तराल में दिनांक 08.12.2003 को ही आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय में अपीलार्थी अपना पक्ष नहीं रख सके। उभय पक्ष द्वारा कंडिका में उभय पक्ष द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर जाँच आवश्यक है।

अतः निम्न न्यायालय का आदेश को निरस्त करते हुए वाद को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभय पक्ष को निदेश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निम्न न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखें। निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के तीन माह के अन्दर उभय पक्ष को सुन कर उक्त बिन्दुओं पर जाँच करते हुए पुनः आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.13 20:13:57 +05:30
Location: 192.168.2.175